

प्रारूप-छ (संलग्नक-6)

अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (पूर्णता (कम्प्लीशन) अनापति प्रमाणपत्र)

यूआईडी संख्या : UPFS/2025/161969/MPR/MAINPURI/602/CFO

दिनांक : 18-06-2025

प्रमाणित किया जाता है कि मेसर्स **SRI CHAITANYA TECHNO SCHOOL** पता 1, AVAS VIKAS SECTOR 1, MAINPURI तहसील - MAINPURI प्लॉट एरिया 2282.34 sq.mt (वर्गमीटर), कुल कवर एरिया 2044.06 (वर्ग मीटर)

ब्लॉकों की संख्या - 1 जिसमें -

ब्लॉकटावर/	प्रत्येक ब्लॉक में तलों की संख्या	बेसमेन्ट की संख्या	ऊँचाई
ए	3	0	10.80 mt.

है। भवन का अधिभोग मेसर्स **SRI CHAITANYA TECHNO SCHOOL** द्वारा किया जा रहा है। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएँ, एनबीसी एवं सम्बन्धित भारतीय मानक ब्यूरो के आईएसओ के अनुसार भवन में स्थापित करायी गयी व्यवस्थाओं का निरीक्षण मुख्य अग्निशमन अधिकारी द्वारा दिनांक 18-06-2025 को भवन स्वामी/भवन स्वामी के प्रतिनिधि श्री **AMIT PANDEY** के साथ किया गया। भवन में अधिष्ठापित अग्नि सुरक्षा व्यवस्थायें मानकों के अनुसार अधिष्ठापित पायी गयी। अतः प्रभृत भवन को अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट) एनओसी की अधिभोग श्रेणी Educational के अन्तर्गत वैधता तिथि 18-06-2025 से 17-06-2028 तक 3 वर्षों के लिए इस शर्त के साथ निर्गत किया जा रहा है कि भवन में नियमानुसार स्थापित सभी अग्निशमन व्यवस्थाओं का अनुरक्षण करते हुए क्रियाशील बनाये रखा जायेगा। भवन में स्थापित की गयी अग्निशमन व्यवस्थाओं में पायी गयी कमी के कारण किसी भी घटना के लिए मेसर्स **SRI CHAITANYA TECHNO SCHOOL** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होंगे। निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र का नवीनीकरण निर्धारित समयावधि के अन्दर न कराये जाने पर निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र स्वतः ही निरस्त माना जायेगा, जिसके लिए मेसर्स **SRI CHAITANYA TECHNO SCHOOL** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होंगे।

Note : उ०प्र० अग्निशमन तथा आपात सेवा नियमावली-2024 के नियम 45(4) के अन्तर्गत भवन स्वामी/अधिभोगी प्रत्येक वर्ष जनवरी और माह जुलाई में भवन/परिसर में अग्नि से बचाव और जीवन सुरक्षा उपायों के रख-रखाव के सम्बन्ध में प्रपत्र-क-8 में अधिनियम 2022 की धारा 26 में यथा विहित शपथ पत्र सहित रिटर्न देगे का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अन्यथा उक्त स्थिति में निर्गत प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया जाएगा। भवन में अतिरिक्त निर्माण किये जाने एवं अग्निशमन विभाग से एनओसी प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

नोट:-अवेदक को निर्देशित किया जाता है कि उक्त भवन का विद्युत सुरक्षा प्रमाण पत्र 02 सप्ताह के अन्दर प्राप्त कर अधोहस्ताक्षरी कार्यालय उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों, सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है। इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा। यह प्रमाण-पत्र भूमि / भवन के स्वामित्व / अधिभोग को प्रमाणित नहीं करता है।"

निर्गत किये जाने का दिनांक: 18-06-2025

स्थान : MAINPURI



मुख्य अग्निशमन अधिकारी

(डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित)

YADUNATH SINGH

B9E93AF1B79D71E389CD82851B8F770FC2CB0E94

18-06-2025

Note:- Kindly check the authentication of NOC by verifying the UID at departmental portal of UP Fire Service.